POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 22.03.2024

1.थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 पिस्टल देशी 32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 खोखा कारतूस, एक रिवाल्वर, 15 जिन्दा कारतूस 38 बोर, एक हथोडा लोहा, 03 पेट्रोल बोतल 01 रस्सी व 01 मो0सा0 व एक बैग बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- **दिनांक 22/03/2024** को थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा एक अभियुक्त विनोद पुत्र रतीराम को शशि चौक से **गिरफ्तार** किया गया है, कब्जे से 01 पिस्टल देशी 32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 खोखा कारतूस, एक रिवाल्वर, 15 जिन्दा कारतूस 38 बोर, एक हथोडा लोहा, 03 पेट्रोल बोतल 01 रस्सी व 01 मो0सा0 व एक बैग बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त का थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-176/2024 धारा-452,307 भादवि के वादी के साथ जमीन से सम्बन्धित विवाद चल रहा है। जिसकी रंजिश को लेकर अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर जाकर जान से मारने की नीयत से देशी पिस्टल से फायर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. विनोद पुत्र रतीराम निवासी ग्राम खटाना, धीरखेड़ा, थाना जारचा जिला गौतमबुद्धनगर,

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0-176/2024 धारा-452,307 भादवि, थाना सैक्टर-39 नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 01 पिस्टल देशी 32 बोर, 04 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 01 खोखा कारतूस
2. 01रिवाल्वर,15 जिन्दा कारतूस 38 बोर
3. 01 हथोडा लोहा
4. 03 पेट्रोल बोतल
5. 01 रस्सी
6. 01 मो0सा0 बजाज सीटी 100 नम्बर UP16BP9867 व एक बैग

2.थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.3.2024 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा, लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये मु0अ0स0 57/24 धारा 2(बी)(1)/3(1) गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत वांछित अभियुक्त रहीम पुत्र निजामुद्दीन को 01 अवैध तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ तिरथली कट से **गिरफ्तार** किया गया है। कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. रहीम पुत्र निजामुद्दीन नि0ग्राम तिरथली थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 64/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रबूपुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 57/24 धारा 2(बी)(1)/3(1) गैगस्टर अधि0 थाना रबूपुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0स0 91/2022 धारा 380/411 भादवि थाना रबूपुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
4. मु0अ0स0 143/2022 धारा 392/411 भादवि थाना रबूपुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर
5. मु0अ0स0 145/2022 धारा 414 भादवि थाना रबूपुरा, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. एक तमंचा व एक कारतूस 315 बोर

3.थाना बिसरख पुलिस और लूट करने वाले 10 हजार रूपये के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ के संबंध में:-

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 22.03.2024 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान कैप्सुल कट निराला स्टेट गोल चक्कर के पास एक मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP37E1833 जिस पर 01 संदिग्ध व्यक्ति सवार था, चैकिंग के लिए पुलिस द्वारा रोका गया तो उक्त मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति मोटरसाइकिल को वापस मोड़कर भागने लगा जिसका पीछा करने पर उपरोक्त बदमाश द्वारा मोटरसाइकिल से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अवैध असलाह से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश गजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम लुहारी, थाना बहादुर गढ, जिला हापुड उम्र 40 वर्ष पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पेलन्डर बरामद हुई है। बदमाश ने पूछने पर बताया कि

मैंने अपने साथी के साथ दिसम्बर के महीने में समृद्धि ग्राण्ड ऐवेन्यू के पास से एक व्यक्ति से सिलेरियो कार लूटी थी। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना बिसरख पर मु0अ0स0-1017/23 धारा 392/411 भादवि पंजीकृत है। जिसमें अभियुक्त फरार चल रहा था। घायल बदमाश के विरूद्ध कई मुकदमे दर्ज है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भिजवाया जा रहा है। बदमाश के ऊपर 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. गजेन्द्र उर्फ गुड्डू पुत्र ओमकार सिंह निवासी ग्राम लुहारी, थाना बहादुर गढ, जिला हापुड़ उम्र 40 वर्ष।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 – 281/2009 धारा-304 B/498-A भादवि & 3 / 4 डी पी एक्ट थाना पिलखुआ, जनपद हापुड़।
2. मु0अ0सं0 – 280/2009 धारा- 3 / 4 गुण्डा एक्ट थाना बहादुर गढ, जनपद हापुड़।
3. मु0अ0सं0 – 124/2010 धारा- 307 भादवि थाना हापुड देहात जनपद हापुड़।
4. मु0अ0सं0 – 125/2010 धारा- 25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड देहात जनपद हापुड़।
5. मु0अ0सं0 – 0082/2024 धारा- 406/420 भादवि थाना पिलखुआ जनपद हापुड़।
6. मु0अ0सं0 – 1017/2023 धारा- 392/411 भादवि थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल सुपर स्पेलन्डर।